भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3535
उत्तर देने की तारीख 15.07.2019

जनजाति बहुल क्षेत्रों हेतु योजना

3535 **श्री विजय बघेल** :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए अगली योजना में सरकार का विशेष प्रावधन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वार्षिक योजना में कितनी वृद्धि प्रस्तावित है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(सुश्री रेणुका सिंह सरूता)

(क) तथा (ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) ने संपूर्ण विकास पर ध्यान देने के लिए एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों सहित 19 प्राथमिकता वाले जिले चिह्नित किए हैं जहाँ जनजातीय जनसंख्या 25% से अधिक है **(अनुलग्नक 1)**। नीति आयोग ने इन क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया की अगुवाई के लिए आकां क्षी जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित 10 जनजातीय बहुल जिलों को भी शामिल किया है:

जिलों की सं.	जिलों के नाम
10	बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा

इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय नीति तथा कार्य योजना बनाई है जो सुरक्षा संबंधी उपायों , विकासात्मक उपायों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और पात्रताओं को सुनिश्चित करने वाली बहु-आयामी रणनीति की परिकल्पना करती है। जनजातीय बहुल जिलों सहित छत्तीसगढ़ के एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

जिलो की सं.	जिलों के नाम
14	बालोद, बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, कबीरधाम

वर्ष 2019-20 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित केंद्रीय मंत्रालयों की विभिन्न स्कीमों के तहत छत्तीसगढ़ सहित संपूर्ण देश में विकास हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा चिह्नित निधियों को वर्ष 2018-19 के दौरान 37533.14 करोड़ रूपए से 51283.53 करोड़ रूपए तक बढ़ाया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 37% अधिक है।

सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित संपूर्ण देश के जनजातीय लोगों तथा जनजातीय बहुल क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए बहु-आयामी रणनीति अपनाई है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, छत्तीसगढ़ सहित राज्यों ने राज्य के कुल योजना परिव्ययों से जनजातीय विकास के लिए निधियां चिह्नित की हैं जो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अजजा की जनसंख्या से कम नहीं है और अजजा की जनसंख्या की समस्या की साझेदारी के बराबर है |

(ii) केंद्रीय मंत्रालय अपने कुल स्कीम आवंटन से निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार जनजातीय विकास के लिए निधियां चिह्नित करते हैं।

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान शिक्षा , स्वास्थ्य, कृषि, आजीविका, आवास, पेयजल और स्वच्छता , रोजगार सृजन , कौशल विकास , महिला एवं बाल विकास आदि का प्रबंध करने वाले जनजातीय लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए निधियों के प्रावधान दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार दिया गया है -:

(करोड़ रूपए में)

टीएसपी घटक	2017-18	2018-19
केंद्रीय मंत्रालयविभाग/	1805.31	1688.33
राज्य घटक	20237.22	18950.15
कुल :	22042.53	20638.48

(iii) पिछले दो वर्षों के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत निर्मुक्त निधियां निम्नानुसार है (एससीए)ः

(आकडे करोड ₹)

राज्य	2017-18		2018-19		कुल
	जिले	निर्मुक्त निधि	जिले	निर्मुक्त निधि (30.01.19 तक)	
छत्तीसगढ़	08.00	40.00	08.00	160.00	200.00

(iv) जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) अपनी 'जनजातीय उप-स्कीम के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस के लिए एससीए)' तथा 'संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान' स्कीमों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहित राज्य सरकारों को निधियां प्रदान करता है। इन स्कीमों/अनुदानों के तहत राज्य के लिए आवंटन का हिस्सा (कार्य आवंटन नियमावली, 1961) (क) जनजातीय जनसंख्या के आधार पर 2/3 तथा (ख) जनजातीय बहु ल क्षेत्रों के आधार पर 1/3 के अनुपात में निर्धारित किया जाता है।

(v) जनजातीय कार्य मंत्रालय 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)' की फ्लैगशिप स्कीम चला रहा है, जिसमें वर्ष 2022 तक जनजातीय बहुल ब्लॉक जहां 20000 वास्तविक जनजातीय जनसंख्या ब्लॉकों में कुल जनजातीय जनसंख्या का कम से कम 50% भाग है, में 33 ईएमआरएस स्थापित किए जाने अभिप्रेत है।

सूची अनुलग्नक 2 के अनुसार है। इसके अलावा 42 ईएमआरएस छत्तीसगढ़ राज्य को पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूदा ईएमआरएस की स्थिति निम्नानुसार है:

	स्वीकृत	**कार्यशील**
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	42	25

(v) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करते हुए छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में वन धन केंद्रों की स्थापना करने की परिकल्पना करता है जिसमें मुख्य रूप से लघु वन उत्पाद के मूल्य श्रृंखला के प्रशिक्षण और विकास को पूरा करना शामिल है।

(vi) जनजातीय कार्य मंत्रालय की मैट्रिकपूर्व तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीमों के तहत , प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से मांग के आधार पर लाभार्थियों को निधियां प्रदान की जाती है।

(vii) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में निवास कर रहे हैं , लेकिन जिनका अधिकार दर्ज नहीं किया गया, को वन अधिकारों की मान्यता देता है और वन भूमि में कब्जे का अधिकार प्रदान करता है। दिनांक 31.03.2019 तक छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार , एफआरए के तहत 8,90,240 दावे दर्ज किए गए और 28,81,246.84 एकड़ वन भूमि के लिए 4,23,218 अधिकार-पत्र वितरित किये गये हैं।

(viii) वर्ष 2017-18 और 2019-20 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत प्रदान की गयी निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(लाख रू. में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	निर्मुक्त निधियां	
		2017-18	2018-19
1	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)	1089.50	1051.50
2	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान	10964.49	11352.92
3	लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)	89.41	197.31
4	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	3811.26	4609.57
5	मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	1805.30	4755.63
6	जनजातीय उप-स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता	14327.57	10342.65
7	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	168.73	504.49
	कुल:	**32256.26**	**32814.07**

(ix) वर्ष 2019-20 के लिए छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत अभी तक आवंटित निधियां:

(लाख रू. में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	छत्तीसगढ़ के लिए निधियों का आवंटन
1	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)	10.10
2	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान	13501.62
6	जनजातीय उप-स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता	10257.61
	कुल:	**23769.33**

(x) केन्द्रीय बजट 2019-20 में विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपायों की परिकल्पना की गई है, जिसमें जनजातीय लोगों तथा जनजातीय बहुल क्षेत्रों के लिए लाभ शामिल है, जो **अनुलग्नक 3** के अनुसार है:

*****

अनुलग्नक 1

दिनांक 15.7.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3535 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक 1

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में चिह्नित प्राथमिकता वाले जिलों की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	जनसंख्या (लाख में)	जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का %
1.	सुकमा (एल)	2.09	83.5%
2.	बीजापुर एल))	2.04	80.0%
3.	नारायणपुर एल))	1.08	77.4%
4.	दंतेवाड़ा एल))	2.01	71.1%
5.	कोंडा गांव (एल)	4.11	71.0%
6.	बलरामपुर	4.59	62.8%
7.	बस्तर एल))	5.21	62.4%
8.	जशपुर	5.30	62.3%
9.	सरगुजा	4.82	57.4%
10.	कांकेर (एल)	4.15	55.4%
11.	कोरिया	3.04	46.2%
12.	सूरजपुर	3.60	45.6%
13.	कोरबा	4.94	40.9%
14.	गरियाबंद	2.16	36.1%
15.	रायगढ़	5.06	33.8%
16.	बालोद	2.59	31.4%
17.	महासमुंद	2.80	27.1%
18.	राजनांद गाँव एल))	4.05	26.4%
19.	धमतरी	2.08	26.0%

अनुलग्नक 2

दिनांक 15.7.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3535 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक 2

नए ईएमआरएस की स्थापना के लिए चुने गए ब्लॉक की सूची

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक/तालुका	ईएमआरएस की मौजूदगी	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	जनसंख्या का %
1.	बलरामपुर	रामानुजगंज	नहीं	84995	50.6
2.	बलरामपुर	शंकरगढ़	नहीं	52819	73.3
3.	बलरामपुर	राजपुर	नहीं	78428	71.9
4.	बस्तर	लोहांदीगुडा	नहीं	56247	74.2
5.	बस्तर	बस्तानर	नहीं	44251	92.1
6.	बस्तर	डारबा	नहीं	65766	82.9
7.	बीजापुर	भोपालपट्टनम	नहीं	36093	73.1
8.	बीजापुर	उसुर	नहीं	49681	89.2
9.	बिलासपुर	पेंड्रा रोड गोरेला	नहीं	76813	57.3
10.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	गीदम	नहीं	55608	69.0
11.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	कुआकोंडा	नहीं	45286	69.4
12.	गरियाबंद	मैनपुर	नहीं	64356	51.7
13.	जशपुर	कंसाबेल	नहीं	47849	62.4
14.	जशपुर	मनोरा	नहीं	48740	80.3
15.	जशपुर	फरसाबहार	नहीं	64631	59.6
16.	जशपुर	पठालगांव	नहीं	121198	63.3
17.	कोंडा गांव	केसकल	नहीं	66197	71.2
18.	कोंडा गांव	बडे राजपुर	नहीं	65545	76.6

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक/तालुका	ईएमआरएस की मौजूदगी	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	जनसंख्या का %
19.	कोंडा गांव	मकड़ी	नहीं	77499	77.7
20.	कोंडा गांव	फरसागांव	नहीं	70820	71.7
21.	कोरबा	पौंडी-उपरोड़ा	नहीं	137703	72.9
22.	कोरिया	भरतपुर	नहीं	57589	64.9
23.	रायगढ़	लैलुंगा	नहीं	82923	63.5
24.	रायगढ़	घरघोडा	नहीं	46718	58.8
25.	राजनंदगांव	मोहला	नहीं	60950	70.1
26.	सुकमा	छींदगढ़	नहीं	65526	82.2
27.	सूरजपुर	प्रेमनगर	नहीं	38976	60.2
28.	सरगुजा	लुनद्रा	नहीं	81206	67.8
29.	सरगुजा	सीतापुर	नहीं	68001	70.7
30.	सरगुजा	बतौली	नहीं	54558	77.7
31.	उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	नहीं	59896	63.1
32.	उत्तर बस्तर कांकेर	दुर्गकोंडल	नहीं	49250	76.6
33.	उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	नहीं	72919	66.0

अनुलग्नक 3

दिनांक 15.7.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3535 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-3

केंद्रीय बजट 2019-20 में न्यू इंडिया 2019 के लिए घोषणाएँ

कृषि और ग्रामीण क्षेत्र

- पारंपरिक उद्योगों के लिए 100 नए समूहों की स्थापना करना , ताकि 50,000 कारीगरों को आर्थिक मूल्य श्रृंखला में शामिल किया जा सके।
- कृषि-ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों में 75000 कुशल उद्यमी विकसित करने के लिए लाइवलीहुड बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (एलबीआई) और 20 टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई) की स्थापना करना ।
- अगले पांच वर्षों में किसानों के लिए अर्थव्यवस्था पैमाने को सुनिश्चित करने के लिए 10.000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन ।
- प्रत्येक गाँव में सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार।
- यह योजना एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा स्थापित करेगी जो मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतराल को भरेगी ।
- यह मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, पारगम्यता, उत्पादन, उत्पादकता, पोस्ट हार्वेस्ट का प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण का ध्यान रखेगा ।

जल शक्ति

- सभी भारतीयों को जल सुरक्षा तथा स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- नया जल शक्ति मंत्रालय एक एकीकृत और समग्र तरीके से जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन को देखेगा ।
- वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन (पाइप जलापूर्ति) ।
- यह अभियान वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण तथा प्रबंधन के लिए स्थानीय अवसंरचना तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा | सरकार ने जल शक्ति अभियान के लिए 256 जिलों के 1592 ब्लॉकों को चिह्नित किया है जो संवेदनशील तथा अति सोषित है,

सामाजिक सुरक्षा

• 1.5 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन का लाभ।

• इस योजना में नामांकन के लिए केवल आधार और बैंक खाते की आवश्यकता होगी। बाकी स्व-घोषणा पर होगा।

अवसंरचना

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना III के तहत अगले पांच वर्षों में 1,25,000 किलोमीटर सड़क की लंबाई का उन्नयन
- प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण के- दूसरे चरण के तहत , वर्ष 2020-21 से 2021-22 के दौरान पात्र लाभार्थियों को 1.95 करोड़ घर प्रदान किए जायेंगे।
- रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस)की तरह विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से उप - शहरी रेलवे मेंअधिक निवेश |
- रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक विशाल कार्यक्रम का शुभारंभ।